न्यायालय उपखंड अधिकारी लूनकरणसर

बअदालत – संजीव कुमार, आर. ए. एस.
राजस्व वाद संख्या – 2022/205

कलावती पत्नी काशीराम जाति जाट निवासी रतनीसर तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर

– वादीया

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) लूनकरणसर

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक रिकॉर्ड दुरूस्ती
दावा अन्तर्गत धारा 88 आर टी एक्ट एवं धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थित –

1. श्री नेतराम सियाग वादी की ओर से।
2. पैरोकार राज।

–:निर्णय:–

दिनांक :– 07.08.2023

संक्षेप में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता श्री नेतराम सियाग दावा अन्तर्गत धारा 88 आर टी एक्ट एवं 136 एल आर एक्ट पेश कर निवेदन किया है कि वादी के नाम से कृषि भूमि मौजारोही चक भंवरिया तहसील लूनकनसर के खसरा नम्बर 48 तादादी 7.3300 हैक्टेयर बारानी खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड मे विधिवत दर्ज रिकार्ड है। जिस पर वादीनी का कब्जा काश्त है। वादीनी की पुरानी खरीदशुदा भूमि है जिसमे वादीनी का नाम कल्लीदेवी जरिये बैनामा दर्ज किया गया। जो आज तक बदस्तूर चला आ रहा है। वादीनी का वास्तविक नाम कलावती देवी है इसलिए वादीनी अपना नाम कल्लीदेवी के स्थान पर कलावतीदेवी दर्ज करवाना चाहती है। दिनांक 20.05.2022 को वादीया तहसीलदार के पास नाम दुरूस्त करवाने गए तब तहसीलदार ने नाम दुरूस्ती करने से स्पष्ट मना कर दिया। यह दिनांक वाद कारण उत्पन्न हुआ है, यही बिनाय दावा एवं विनाय मुखास्मत है। वादी के नाम से संयुक्त खातेदारी कृषिभूमि मौजारोही चक भंवरिया तहसील लूनकनसर के खसरा नम्बर 48 तादादी 7.3300 हैक्टेयर बारानी खातेदारी भूमि जिसमें वादीया अपना नाम कल्लीदेवी के स्थान पर कलावतीदेवी दर्ज कर शुद्ध करने की घोषणा करवाना चाहती है। वादीया ने वादपत्र के साथ साक्ष्य के रूप में छायाप्रति आधार कार्ड, वोटर कार्ड, भामाशाह कार्ड,जन आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड,बीपीएम कार्ड, शपथ पत्र एवं कार्यालय ग्राम पंचायत बालादेसर दुरूस्ती के समर्थन मे जारी पत्र आदि दस्तावेजो की छाया प्रतियो के अतिरिक्त दुरूस्ती के पक्ष मे शपथ पत्र पेश किए गए है। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दुरूस्ती के पक्ष मे रिपोर्ट शामिल मिसल है।

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। पैरोकार राज ने अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी अपने साक्ष्य से साबित करें कि वादीया का नाम कलवाती ही हैं। वादीया का नाम कल्लीदेवी के स्थान पर कलावती न्यायिक हित में किया जाता है तो सरकार को हानि नहीं हो रही हैं।

उभयपक्ष की बहस सूनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में दावा मीमो के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी के नाम संयुक्त खातेदरी कृषि भूमि मौजारोही चक भंवरिया तहसील लूनकनसर के खसरा नम्बर 48 तादादी 7.3300 हैक्टेयर बारानी भूमि वादीया मुताबिक कब्जाकाश्त में हैं। कब्जाकाश्त जो आज तक बदस्तूर चला आ रहा है। अन्य सभी दस्तावेजो मे वादीया का नाम कलावती होने के कारण वादी राजस्व रिकॉर्ड मे कल्लीदेवी के स्थान पर कलावती नाम की घोषणा करवाने का हकदार है जिसकी घोषणा की जावें।

वादपत्र के साथ साक्ष्य के रूप में छायाप्रति आधार कार्ड, वोटर कार्ड, भामाशाह कार्ड,जन आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड,बीपीएम कार्ड, शपथ पत्र एवं कार्यालय ग्राम पंचायत बालादेसर दुरूस्ती के समर्थन मे जारी पत्र आदि दस्तावेजो की छाया प्रतियो के अतिरिक्त दुरूस्ती के पक्ष मे शपथ पत्र पेश किये जिनके आधार नाम दुरूस्त किया जाता है तो राज्य को कोई आपति नहीं है।

हमने उभयपक्ष को सुना एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एंव तहसीलदार जवाब व वादी की ओर से पेश किये गए साक्ष्य के आधार पर वादगत भूमि में वादीया का नाम कलावती सही प्रतीत होता है। जबकी अन्य दस्तावेजो मे वादीया का नाम कलवती है। अतः वाद वादीया स्वीकार किया जाता है कि वादगत भूमि मौजारोही चक भंवरिया तहसील लूनकनसर के खसरा नम्बर 48 तादादी 7. 3300 हैक्टेयर बारानी भूमि में वादीया का नाम कल्लीदेवी के स्थान पर कलावती दुरूस्ती की घोषणा की जाती है। पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय की एक प्रति तहसीलदार लूनकरणसर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 07.08.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजीव कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरणसर

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, लूनकरनसर

ब इजलास : संजीव कुमार आरएएस

कलावती **बनाम** **सरकार**

दावा अंतर्गत धारा 88 आरटीए, धारा 136 एलआरएक्ट

मुकदमा नम्बर :
205/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी **वकील वादी श्री नेतराम सियाग,** मिनजानिब मुदई **पैरोकारराज राज्य की ओर से** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वाद वादीया स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि मौजारोही चक भंवरिया तहसील लूनकनसर के खसरा नम्बर 48 तादादी 7.3300 हैक्टेयर बारानी भूमि में वादीया का नाम कल्लीदेवी के स्थान पर कलावती दुरूस्ती की घोषणा की जाती है। तहसीलदार राजस्व लूनकरणसर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करें।

नीज ....- ....मुबलिक ....- ....बाबत खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .... -............................ फीस सदी सालाना आज की तारीख से वसूल याबो तक ....-......................... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज दिनांक 07.08.2023 को डिक्री जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर